न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 48 / 2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 जितेन्द्र कुमार पुत्र पदमचंद 2 प्रेमलता पुत्री पदमचंद 3 राखी पुत्री पदमचंद 4 बसन्ता पुत्री पदमचंद 5 हर्षा पुत्री पदमचंद 6 सुषमा पुत्री पदमचंद जातिगण जैन (पोकरणा) निवासीगण बगडी नगर तहसील सोजत, जिला पाली।		1. सरकार जरिए तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर)सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री धर्मीचंद देवासी, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।

2. तहसीलदार, सोजत प्रतिवादी उपस्थित ।

–: निर्णय :– दिनांक – 28.10.2021

अधिवक्ता मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम चंडावल तहसील सोजत में खसरा नं 2150 रकबा 1.1600 हैक्टर की खातेदार शिवरतन पुत्र शांतिलाल जाति वैष्णव निवासी चंडावल वालो की आयी हुई थी। जिसमें अवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड का प्लान बनाया गया था। उस वक्त दिनांक 04.05.1994 को वादीगण की माता विमलादेवी ने भी एक भूखण्ड खरीदा जिसकी बेचान रजिस्ट्री शिवरतन द्वारा वादीगण की माता के पक्ष में निष्पादित की। आज भी मौके पर वादीगण का कब्जा है तथा खसरा सख्या 2150 / 12 वादीगण के माता के नाम से खातेदारी सुदा है। वक्त बेचान रजिस्ट्री तत्कालीन दिलीप सिंघवी के द्वारा लिपिक टंकण सेवन से बेचान रजिस्ट्री में बतौर खरीददार का नाम विमला देवी टंकण किया, लेकिन सेवन से वादीगण के पिता का नाम अर्थात विमला देवी के पति का नाम पदमचन्द के स्थान पर पुनमचन्द दर्ज कर दिया। चूंकि उस वक्त पंजीयन के समय खरीददार या उसके पहिचान दस्तावेज की आवश्यकता नहीं रहती थी। जिसकी वजह से लिपिक या टंकण की भूल हुई है। बल्कि वास्तविक मालिक वादीगण की माता ही थी। ग्राम बगडी नगर में विमला पत्नी पुनमचंद पोकरणा नाम की कोई महिला नही है। उक्त बेचान रजिस्ट्री के आधार पर ही खसरा संख्या 2150 / 12 में वादीगण की माता के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। लेकिन बेचान रजिस्ट्री में विमला पत्नी पुनमचंद दर्ज होने से नामान्तरकरण संख्या 1988 में भी विमला पत्नी पुनमचंद ही दर्ज है। वर्तमान चालू साल जमाबंदी में ही विमला पत्नी पुनमचंद है। उक्त जानकारी वादीगण को कभी भी नही हुई कि खातेदारी में उनके पिता का नाम टंकण से गलत दर्ज हो गया। वादीगण की माता की मृत्यु दिनांक 16.08.2015 को हो चुकी

है। वादीगण ही विमला देवी के प्रथम श्रेणी की उतराधिकारी/वारिस है। इसके अलावा अन्य कोई वारिस नही है। वादीगण की माता के राशन कार्ड, परिचय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता पास बुक पैन कार्ड, इत्यादि संपूर्ण लोक दस्तावेज में पदमचंद (पति) का नाम दर्ज है। वादीगण ने सर्वप्रथम पटवारी हल्का से दिनाक 29.01.2018 को जमाबंदी की नकल प्राप्त की तथा नामान्तरकरण हेतु पटवारी हल्का से निवेदन किया तो वादीगण के पिता का नाम जमाबंदी में पुनमचंद दर्ज होने से नामान्तरकरण करने से मना कर दिया। जबकि उक्त एक लिपिकीय टंकण भूल है। उक्त जानकारी भी वादीगण को दिनांक 29.01.2018 को ही हुई थी। उससे पहले किसी प्रकार की जानकारी नही थी। तब वादीगण के द्वारा बेंचानकर्ता शिवरतन से संपर्क किया, जिन्होंने भी टंकण भूल होना बताया। वादीगण ने दिनांक 30.01.2018 को वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर पटवारी हल्का चंडावल को नियमानुसार कार्यवाही करने का आदेश दिया। लेकिन पटवारी हल्का ने किसी प्रकार की आदेश की पालना नही की तथा रिपोर्ट करने से मना कर दस्तावेज वापिस लौटा दिया। वादीगण के द्वारा बार बार प्रतिवादी को खातेदारी दर्ज करने का कहा लेकिन आज दिन तक पालना नही की गई। जबकि मौके पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। इसलिए वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। आज भी मौके पर वादीगण का कब्जा है। वादीगण के कानूनी अधिकारो का हनन हो रहा है। वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है। इसलिये यह वाद बाबत घोषित कराने खातेदारी विरूद्ध प्रतिवादी के अंतर्गत धारा 88, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है। दिनांक 04.05.1994 को वादीगण की माता के द्वारा उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 2150 खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त करना तथा खसरा संख्या 2150 का बंटवाडा कर खसरा संख्या 2150/12 की वादीगण की माता के खातेदारी दर्ज करने से तथा बेचान रजिस्ट्री में सेवन से पदमचंद के स्थान पर पुनमचंद टंकण कर देने से तत्पश्चात दिनांक 16.08.2015 को वादीगण की माता की मृत्यु होने से तथा सर्वप्रथम दिनांक 29.01.2018 को पटवारी हल्का से नकल लेने से तथा पटवारी हल्का तथा प्रतिवादी के द्वारा खातेदारी दर्ज करने से मना करने पर बिनायदावा बमुकाम ग्राम चंडावल तहसील सोजत उत्पन्न हुआ, जो अंदर म्याद पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने अर्थात् डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की सादिर फरमाई जावे कि सरहद मौजा ग्राम चंडावल खसरा संख्या 2150/12 में वादीगण की माता विमला देवी पत्नी पुनमचंद के स्थान पर विमला देवी पत्नी पदमचंद दर्ज किये जाने तथा वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तथा जमाबंदी में इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी सरकार की ओर से तहसीलदार, सोजत द्वारा जबाब दावा दिनांक 22.10.2021 को पेश करना नहीं चाहने से जबाब दावा बन्द किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा विवादस्थ भूमि की राजस्व रेकार्ड एवं मौका स्थिति की

रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया है कि सरहद मौजा चंडावल के ख. नं. 2150/12 रकबा 0.0079 हैक्टर किस्म बा.दो. में बतौर खातेदार विमला पत्नि पुनमचंद 1/2 जाति सीरवी सा. बगडी एव जैन पत्नि पुनमचंद 1/2 जाति सीरवी सा. बगडी खातेदार दर्ज है। यह लिपिकीय त्रुटिवश इन्द्राज दर्ज हुआ है। गत जमाबंदी में उक्त ख. नं. 2150/12 रकबा 0.0079 हैक्टेयर में विमला पत्नि पुनमचंद हिस्सा संपर्ण कौम जैन सा. बगडी खातेदार दर्ज है। खसरा नं. 2150/12 रकबा 0.0079 हैक्टेयर भूमि का नक्शा लट्टा अनुसार मौका देखा गया, मौके पर प्रार्थी का कब्जा नही है तथा मौके पर सडक स्थित है तथा मौके की भूमि पर आवागमन होता है। बहस अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सूनी गई एवं समायत की गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात तथा तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत विवादस्थ भूमि की वर्तमान राजस्व रेकर्ड एव मौका स्थिति की रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रस्तुत तहसीलदार सोजत की रिर्पोटानुसार वादस्थ कृषि भूमि पर वादी का कब्जा नही है तथा मौके पर सडक स्थित है। मौके पर आवागमन हो रहा है। अधिवक्ता मय वादी का उक्त वाद क्लीन हैण्ड से पेश नहीं करने तथा वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से विस्तृत विवेचना सहित नया वाद पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए प्रस्तुत उक्त वाद सारहीन तथ्यहीन होने से खारीज किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नही करने से तथा वाद–पत्र मे वर्णित तथ्यो तथा प्रस्तुतः राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की वस्तुस्थिति रिपोर्टानुसार अधिवक्ता मय वादी का उक्त वाद क्लीन हैण्ड से पेश नहीं करने तथा वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से विस्तृत विवेचना सहित नया वाद पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सारहीन तथ्यहीन होने से वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर सामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भंडार जमा हो।

(गोपाराम जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाराम जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1 जितेन्द्र कुमार पुत्र पदमचंद 2 प्रेमलता पुत्री पदमचंद 3 राखी पुत्री पदमचंद 4 बसन्ता पुत्री पदमचंद 5 हर्षा पुत्री पदमचंद 6 सुषमा पुत्री पदमचंद जातिगण जैन (पोकरणा) निवासीगण बगडी नगर तहसील सोजत, जिला पाली।		1. सरकार जरिए तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर)सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 48 / 2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री धर्मीचंद देवासी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नहीं करने से तथा वाद–पत्र में वर्णित तथ्यो तथा प्रस्तुतः राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की वस्तुस्थिति रिपोर्टानुसार अधिवक्ता मय वादी का उक्त वाद क्लीन हैण्ड से पेश नही करने तथा वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से विस्तृत विवेचना सहित नया वाद पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद सारहीन तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.10.2021 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मददई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफरिक	शून्य	शून्य
मतफरिक	शून्य	शून्य			